राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– ननाउ 2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 48 सन 2018

अनवान :–

1. सुनिल कुमार पुत्र दाताराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मदनलाल 2 बृजलाल पि0 नानूराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुभाष 4 रोहताश पि0 ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. मैनेजर आई.डी.बी.आई बैक शाखा चक सरदारपुरा नोहर।

असल प्रतिवादीगण

7. गिरदावरी पत्नी दाताराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 77/80 में कुल 12.3980हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीव डोल एवं रकमराज जमा करवाने का तनाजा रहता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री किया जावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाना चाहते है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार मुश्तकरका खाता की भूमि में अपने हक हिस्सा किस्म भूमि कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अर्थात वादी का वाद काबिल प्राथमिक डिक्री है

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 77/80 में दर्ज 12.3980हैक्ट भूमि में जमाबन्दी में दर्ज वादी /प्रतिवादीगण के हक हिस्सा मुताबिक किस्म भूमि /कब्जा काश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी एवं कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे तथा मौका कमीशनर फीस 1000/– तय की जाती है जो वादी के द्वारा तय की जावेगी। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई ।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Web Copy Not Official

SAZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–ननाउ